न्यायालय- श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प, सागर म0प्र0

(42)

निग | 3546-II-15

राधाकृष्ण गुप्ता तनय स्व0 चुखरलाल रावत, आयु 74 साल

निवासी- खटक्याना मुहल्ला, ताज कालोनी के पास, छतरपुर

श्री श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा 2250
द्वारा आज दि. 31/10/15 को
प्रस्तुत

तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

......आवेदक.

// विरूद्ध //

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदक.

निग0 प्र0 क्र0-

ता0 प्रस्तुति-

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू- राजस्व संहिता.

यह निगरानी, अधी0 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्र0 क्र0- 345/ बी-121/ वर्ष 98-99 पक्षकार शासन बनाम नरेन्द्र कुमार वगैरा में पारित आदेश दिनांक- 13.10.2004 से दुखित होकर निम्न अनुसार प्रस्तुत है ।

1. यह कि, पटवारी हल्का नं0- 37 ग्राम बगौता, रा0नि0 मंडल छतरपुर में आराजी नंबर- 1111/1 बटांक में से बिक्रित भूमि रकवा 0.034हे0 आवेदक ने दिनांक- 21.1.2000 को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से क्रय की थी, जिसका डायवर्सन प्रकरण क्रमांक- 4 अ/2 वर्ष 2000-2001 आदेश दिनांक- 11.10.2000 को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के द्वारा आवेदक के नाम से किया गया था ।

2. यह कि, आवेदक ने उपरोक्त भूमि खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी कम होने के कारण कलेक्टर आफ स्टाम्प छतरपुर के यहां बैनामा जप्त हो जाने से प्रकरण चला तथा स्टाम्प शुल्क पूर्ति दिनांक- 31.5.2000 को की गई ।

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांकनिगरानी-3546-दो/2016 जिला छतरपुर राधाकृष्ण विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018 21.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 345/बी-121/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 13-10-2004 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 31-10-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 21.12.18
सदस्य